न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

/अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

भवानी सिंह आदि .... बनाम .... महावीर सिंह आदि

कस्म मुकदमा 86, 89, 92 5 188 .... नं. 105/18 .... सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7-6-18	वकील वादीगण द्वारा वादपत्र पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 92 5 188 विरूद्ध विपक्षीगण पेश किया गया। वादपत्र पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 31-7-18 को पेश हो।	
	14.06.2018 पत्रावली आज अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 28, 29 की और से नियुक्त विद्वान अधिवक्ता श्री मुरारी जोशी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. बाबत वादपत्र में प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत करने से पैश हुई। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की द्वितीय प्रति अधिवक्ता वादीगण को दिलवाई गई। वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर बहस उभयपक्ष करना चाहने से, वादीगण की रजामन्दी से बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 28, 29 द्वारा वादीगण के इस प्रस्तुतशुदा वादपत्र पर ऐतराज/उजर व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित वादीगण संख्या 29 श्री लक्ष्मण सिंह पिता उम्मेद सिंह राजपूत निवासी निम्बाहेडाकंला दिनांक 09.05.2018 को ही फौत हो चुके है, और यह वादपत्र वादी द्वारा हाल ही में दिनांक 01.06.2018 को पैश किया गया है, यानि मृतक श्री लक्ष्मण सिंह पिता उम्मेद सिंह राजपूत निवासी निम्बाहेडाकंला 29 के स्थान संयोजित कर, न्यायालय श्रीमान को अन्धेरे में रखते हुए, धोखे/कपट से वादीगण ने अपने पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्थगन आदेश प्राप्त कर, वादीगण ने यह वादपत्र कानूनन दृष्टि से दोषयुक्त प्रस्तुत किया गया है, जो कतई श्रीमान न्यायालय में चलने योग्न नही होकर, सव्यय काबिले खारिजी योग्य है।	

उपखण्ड अधिका० बनेड़ा
जिला भीलवाडा (राज०)

इस पर वादीगण के अधिवक्ता से इसका स्पष्टीकरण लिये जाने हेतु कहे जाने पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रद प्रत्युत्तर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के कहे तर्को के खण्डन में जाहिर नही किया गया। और अपने द्वारा कारित भूल का अन्देशा होते ही उनके द्वारा एक प्रथक से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। यानि इससे यह स्पष्ट जाहिर है कि वादीगण ने यह वाद बिना पक्षकारान की सम्यक जांच किये, न्यायालय को गुमराह करने की नियत से प्रस्तुत किया है। वादीगण का यह कृत्य मृतक पक्षकार को वादीगण के स्थान पर संयोजित कर, उनके विधिक वारिसानो को जानकारी में लिये बिना, प्रस्तुत करना कत्ई क्षम्य नही है।

पत्रावली का अध्ययन व परिक्षण किया गया। वादपत्र में विपक्षी द्वारा अवगत कराई गई कथित त्रूटी पत्रावली को देखने से सिद्ध होती है, एंव इस प्रकार की गलती का पुष्टीकरण वादी के अधिवक्ता ने भी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 03 व 151 जा.दी. के प्रस्तुत कर, कर दिया है, जो कत्ई क्षम्य योग्य नही है।

अतः वादीगण का वादपत्र, दोषयुक्त/त्रूटीपूर्ण प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। वादीगण कारित भूल सुधार कर नवीन वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)